

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1679
जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

जल निकायों में प्रदूषण

1679. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को देश में जल निकायों के प्रदूषण की अधिकता की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा औद्योगिक बहिस्त्रावों द्वारा जल स्रोतों को प्रदूषित होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) देश में जल स्रोतों को प्रदूषित करते पाए गए उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क):जल राज्य का विषय है, इसलिए जलाशयों में प्रदूषण की मात्रा के बारे में जानकारी एकत्र करना तथा उसे नियंत्रित करने के उपायों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत, राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिए, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के साथ मिलकर देश में जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। इस समय, एनडब्ल्यूएमपी के तहत 4,736 स्थलों पर निगरानी की जा रही है, जिसमें नदियों पर 2,155 स्थान, झीलों पर 558, तालाबों पर 141, टैंकों पर 102, भूजल पर 1,233 स्थान और तटीय जलाशयों सहित अन्य जलाशयों पर 547 निगरानी स्थान शामिल हैं।

(ख): औद्योगिक अपशिष्टों द्वारा जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने का कार्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। हालांकि, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करने हेतु की गई कुछ प्रमुख पहलों का विवरण नीचे दिया गया है।

- भारत सरकार ने जलाशयों के संरक्षण के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विभिन्न प्रावधान लागू किए हैं।

					अनुपालन करने वाले	अनुपालन न करने वाले	कारण बताओ नोटिस जारी	बंद करने का निर्देश जारी
1	आंध्र प्रदेश	200	3	197	194	3	3	0
2	बिहार	78	19	59	37	22	22	0
3	छत्तीसगढ़	35	6	29	21	8	1	7
4	दिल्ली	196	34	162	155	7	2	5
5	गुजरात	25	1	24	17	7	7	0
6	हरियाणा	1,140	174	966	948	18	13	5
7	उत्तर प्रदेश	1,644	410	1,234	1179	55	0	55
8	उत्तराखंड	67	9	58	57	1	0	1
	कुल	3,385	656	2,729	2,608	121	48	73
